राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–150/2015/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (अलवर) .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स एमटेक इण्डिया लि0
रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी (अलवर) .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम,सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः–11.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 164/आरवेट/201–13/13–14/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.01.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी द्वारा वाहन संख्या PB-65-T/0889 को भिवाड़ी में चैक करने पर उसमें आयरन कास्टिंग भरा हुआ पाया गया। उक्त माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने प्रत्यर्थी फर्म द्वारा जारी बिल क्रमांक 13–14/4827 दिनांक 20.12.2013 जो मै0 मारूति सुजुकी इण्डिया लि0, गुड़गांव के नाम कीमतन रूपये 3,94,274/–का जारी किया हरियाणा राज्य का प्रपत्र वेट डी–3 (चालान/इन्वाइस) क्रमांक 00459244 भरा हुआ एवं राजस्थान राज्य का घोषणा पत्र वेट–47 क्रमांकः 3773581 (पूर्णतः खाली) भी प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी अधिकारी ने पाया कि माल गुड़गांव (हरियाणा) से भिवाड़ी के लिए परिवहनित करके लाये जाने के बावजूद भी गुड़गांव से भिवाड़ी के लिए परिवहनित होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि अधिनियम की धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन है। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर उपायुक्त(प्रशासन), अलवर के निर्देशानुसार अभियोग पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त अभियोग के निस्तारण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा उक्त माल मै0 मारूति सुजुकी इण्डिया लि0, गुड़गांव को बिल क्रमांक 13–14/4827 दिनांक 20.12.2013 द्वारा बेचा गया था जिसमें जंग की शिकायत होने के कारण क्रेता कंपनी द्वारा उक्त माल को स्वीकार नहीं किये जाने के कारण ट्रांसपोर्टर द्वारा उक्त माल 15 दिन पश्चात वापस प्रत्यर्थी व्यवसायी को भेजा गया था जिसके परिवहन के दौरान जांच अधिकारी द्वारा उक्त वाहन को चैक किया गया। उक्त माल विक्रय वापसी के

लगातार.....2

रूप में लौटकर आ रहा था जो कि विक्रय अथवा कन्साईन्मेन्ट नहीं होने से उसके साथ घोषणा पत्र वेट–47 आवश्यक नहीं था फिर भी प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ पूर्णतः भरा हुआ घोषणा–पत्र वेट–47 क्रमांक 3537103 प्रस्तुत कर दिया गया एवं उसके साथ ही ट्रांसपोर्टर मै0 देव गुड्स केरियर द्वारा दिनांक 07.01.2014 को जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस में भी उक्त तथ्यों का वर्णन किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार करते हुए परिवहनित माल कीमतन रूपये 3,94,272/– पर शास्ति रूपये 1,18,282/– आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.06.2014 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी– विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा मै0 मारूति सुजुकी इण्डिया लि0, गुड़गांव को बेचा गया माल 192 पीस मारूति ब्लॉक सिलेण्डर जरिये बिल क्रमांक 13–14/4827 दिनांक 20.12.2013 द्वारा भेजा गया था जिसके साथ राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के घोषणा–पत्र रोड परमिट भी संलग्न थे किन्तु उक्त माल के जंग लग जाने के कारण क्रेता कंपनी द्वारा उक्त माल को फैक्ट्री परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया जिसके कारण 15 दिन पश्चात उन्ही दस्तावेजों के साथ उक्त माल को बिना विक्रेता फर्म प्रत्यर्थी की जानकारी के ट्रांसपोर्टर द्वारा गुड़गांव से भिवाड़ी प्रत्यर्थी फर्म के पास वापस भेज दिया गया। जबकि रिजेक्टेड माल वापस आने की दशा में उसके साथ घोषणा–पत्र वेट–47 आवश्यक नहीं है एंव क्रेता फर्म को भेजे गये माल के मूल दस्तावेज साथ में संलग्न पाये गये। इसलिये शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। जांच अधिकारी अथवा सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त परिवहनित माल के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई बल्कि जांच के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषित अनुसार ही माल एवं उसकी कीमत को स्वीकार किया गया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा जिन दस्तावेजों के द्वारा उक्त माल क्रेता कंपनी को भिजवाया गया था वही माल रिजेक्ट/बेकार होने के कारण 15 दिन पश्चात उसी वाहन में गुड़गांव से भिवाड़ी प्रत्यर्थी व्यवसायी के पास वापस आ रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति आरोपित कर दी गयी, जो पूर्णतः अविधिक है। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा माल मै0 मारूति सुजुकी इण्डिया लि0, गुड़गांव को 192 पीस मारूति ब्लॉक सिलेण्डर जरिये बिल क्रमांक 13–14/4827 दिनांक 20.12.2013 भेजा गया था जिसके साथ हरियाणा एवं राजस्थान राज्य के घोषणा पत्र संलग्न किये गये थे। क्रेता कंपनी को भेजा गया माल ही जंग लगने के कारण क्रेता कंपनी की फैक्ट्री परिसर में प्रवेश नहीं होने से ट्रांसपोर्टर द्वारा वापस भिवाड़ी जा रहा था जो कि पुनः विक्रय अथवा कन्साईन्मेन्ट अथवा अन्य प्रयोग से संबंधित नहीं होने के कारण उसके साथ घोषणा–पत्र वेट–47 की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उनके द्वारा जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वेट–47 क्रमांक 3537103 सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। सशक्त अधिकारी ने भी इस पर ध्यान नहीं देकर शास्ति आरोपित कर

लगातार.....3

दी गयी जो अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर विचार कर शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य